

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

कमांक 237 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 03/11/2025

सुश्री कंचन सैनिक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित आर.सी.एस.बी. प्रकरण कमांक 04/2023 शुक्ला एग्रीटेक विरुद्ध मेसर्स गोकुल में दावा की मालियती 5,95,653/-रुपये होने एवं कार्यविभाजन पत्रक अनुसार 05 लाख 01 रूपयें से 01 करोड़ रुपये तक के सभी प्रकार के व्यवहार वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड की न्यायालय को होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सुश्री कंचन सैनिक, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित आर.सी.एस.बी. प्रकरण कमांक 04/2023 शुक्ला एग्रीटेक विरुद्ध मेसर्स गोकुल को उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री दयाल सिंह सूर्यवंशी, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

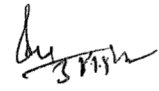
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)पृष्ठांकन कमांक 5413 /
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 03/11/2025

प्रतिलिपि:-

1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा।
 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा की न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश।
 3. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ रीवा, जिला रीवा।
 4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
 5. जू0सि0ए0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)